राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 22.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18. 03.2020 एवं 19.03.2020 की निरन्तरता में **सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020** तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाऐं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) **आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे।**

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:–

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2. चिकित्सा शिक्षा
3. आयुर्वेद
4. गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ. एस. एल.)
5. वित्त
6. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
7. बिजली (ऊर्जा)
8. पेयजल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
9. स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद)
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
11. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
12. पंचायती राज
13. सूचना एवं जनसम्पर्क
14. सूचना प्रौद्योगिकी
15. परिवहन
16. सामान्य प्रशासन
17. स्टेट मोटर गैराज
18. विधि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोडकर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड डयूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त प्रतिबन्ध मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं, सभी प्रकार के चिकित्सकीय सस्थान (मेडिकल स्टोर सहित), औषधि एवं सर्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, दूध डेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना एवं प्रोविजनल स्टोर, मेडिकल स्टोर एवं सर्जिकल उपकरण, फल–सब्जियों की दुकाने, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्सपोर्ट, प्राईवेट बसें, टेक्सियां, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तराराज्यीय (Intra State), संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन से घर एवं अस्पताल के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।

बन्द के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर/आयुक्त पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जावे।

उक्त आदेशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

22/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव